

89

कैम्ब्रिज एज्युकेशनल ट्रस्ट्स लिमिटेड

I/पुनर्स्थापना पत्रा/मू.२/२०१७/३६६३

पत्र क्र. R-570-I/17 (पत्रा)

मैट्रिक

- अर्जित

श्री अंजनी विद्यालय
५-१०-१७

५
३१/१०/१७

- अर्जित

~~५-१०-१७~~

अर्जित पत्र अंतर्गत धारा ३५(३) तदनुसार -

CP-16-10-17

इज्जत संहिता - १९५९

कैम्ब्रिज मैट्रिक,

अर्जित अभिभावक की ओर से अर्जित

- पत्र लिख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

१) यह कि उक्त प्रस्ताव आज दिनांक ३/१०/१७ को सिद्ध
या पत्र अर्जित अभिभावक का इच्छा रखने
के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।

२) यह कि जब दिनांक ५/१०/१७ को अर्जित अभिभावक
न्यायालय में पहुँचे तब मुझे पता चला कि उक्त प्रस्ताव

दिनांक ३/१०/१७ को ही अर्जित कर दिया गया है।
मैंने लगे हुए धारा ३५(३) के अन्तर्गत से अर्जित करने का उक्त प्रस्ताव
आपको प्रस्तावित है। अर्जित पत्र अर्जित भाला पर


आधारित है। न्यायालय प्रस्ताव को पुनः अर्जित कर
मैंने को प्रस्तावित है। दिनांक ५/१०/१७

कैम्ब्रिज एज्युकेशनल
ट्रस्ट्स लिमिटेड

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/पुनर्स्थापन/पन्ना/भूरा/2017/3663

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषको हस्ताक्षर
12-10-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रंजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 35 (3) म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 570-एक/17 में दिनांक 3.10.17 को पेशी नियत थी। उस दिनांक को मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी। अतः उक्त दिनांक को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया था।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया विचारोपरांत कारण समाधानकारक होने से प्रकरण क्रमांक निगरानी 570-एक/17 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण समाप्त होकर दा0द0 हो।</p>	 सदस्य